प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

संख्या 01265/2022-2023 दिनांक 27/09/2022

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या:R/ALL/10735/2022-2023 पत्रावली संख्या:AL-15479 दिनांक:2002-2003

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उत्थान सेन्टर फार सस्टेनेबिल डवलपमेण्ट एण्ड पावर्टी एलीविएशन, 18ए आकलैण्ड रोड, प्रयागराज, 211001 को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 242/2002-03 दिनांक-25/09/2002 को दिनांक-25/09/2022 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।
1000 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

Digitally Signed By
(Sanjay Kumar Singh)
AC43DB175E59C493BAF1E4D3DAA45BDBF18B5D2D
Date: 27/09/2022 6:36:16 PM, Location: Prayagraj.

जारी करने का दिनांक-27/09/2022

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

MANAGER
Vishnu Bhagwan Public School
Jhalwa, Peepal Gaon, Allahabad

PRINCIPAL
Vishnu Bhagwan Public School
Jhalwa, Peepal Gaon, Allahabad

पंजीकृत संख्या ... 15 ... दिनांक ...

सोसाइटी-रजिस्ट्रीकरण

का

प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21,1860 के अधीन)

संख्या 1252 2002 — 2003

एतद्‌द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि ...

...

...

को उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथासंशोधित सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 ई० के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है। यह प्रमाण-पत्र 25-9-2007 तक विधिमान्य होगा।

आज दिनांक पच्चीस सितम्बर दो हजार दो को मेरे हस्ताक्षर से दिया गया।

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,

उत्तर प्रदेश।

स्मृति पत्र

संस्था का नाम : प्रयाग सेन्टर फार सस्टेनेबिल डेवलपमेन्ट एण्ड पावर्टी एलीविएशन

संस्था का पता : 19 ए [illegible] रोड, इलाहाबाद (उ०प्र०)

कार्य क्षेत्र : सम्पूर्ण भारत

उद्देश्य :

(1) संस्था के अन्तर्गत पर्यावरण/प्राचीन/[illegible] विकास/[illegible] [illegible] फार्म हाउस [illegible] प्रशिक्षण [illegible] रोजगार पूरक (कम्प्यूटर आदि) प्रशिक्षण देना तथा [illegible] रोजगार [illegible] करके स्वावलम्बी बनाना।

(2) [illegible] विकास हेतु [illegible] सेन्टर, [illegible] (अचार, मुरब्बा, [illegible] के साधन [illegible] आदि) स्वरोजगार पूरक प्रशिक्षण (कम्प्यूटर आदि) [illegible] की व्यवस्था करके उनका [illegible] तथा राष्ट्रीय विकास में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करना। बच्चों का [illegible] के लिये उनके मनोरंजन, स्वास्थ्य, शिक्षा व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिये विभिन्न [illegible] केन्द्रों का संचालन करना।

(3) [illegible] आर्थिक रूप से [illegible] बच्चों/युवकों/[illegible] के [illegible] के लिये [illegible] रोजगार पूरक प्रशिक्षण [illegible] चिकित्सा [illegible] इत्यादि की व्यवस्था [illegible] अपंग एवं असहाय लोगों से [illegible] लोगों की [illegible] व

(4) [illegible] पोलियो [illegible] रोजगार [illegible] इत्यादि स्वरोजगार पूरक शिक्षण-प्रशिक्षण देकर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना।

(5) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रमों को [illegible] करना [illegible] लिये [illegible] अस्पताल, परिवार कल्याण [illegible] केन्द्र इत्यादि की स्थापना [illegible] यूनिसेफ [illegible] [illegible] इत्यादि, [illegible] तथा [illegible] परिवार [illegible] इत्यादि कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना।

Prayag Centre for Sustainable Development & Poverty Alleviation
Allahabad-211001

PRINCIPAL
Vishnu Bhagwan Public School
[illegible] Gaon, Allahabad

(6) वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों, पेट्रोलियम बचत, सड़क सुरक्षा, उपभोक्ता संरक्षण, कानूनी सलाह, बंधुआ मजदूर उन्मूलन, दहेज उन्मूलन, मद्यनिषेध, महिलाओं को समानता का अधिकार, पंचायती राज संस्थान द्वारा समय-समय पर प्रसारित समस्याओं के निदान के लिये व योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिये आवश्यकता कार्यक्रम तथा संबंधित परियोजना का क्रियान्वयन करना।

(7) केन्द्र सरकार की कृषि नीतियों और कार्यक्रमों को क्रियान्वयन करने के लिए एजेन्सी के रूप में कार्य करना, कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना, कृषक प्रशिक्षण केन्द्र एवं कृषि विपणन तथा उत्पादन के क्षेत्र में अनुसंधान करना तथा प्रशिक्षण का कार्य करना।

(8) मजदूरी बेगारी को रोकने का प्रयास करना तथा कार्य में लिप्त लोगों के पुनर्वास शिक्षा-प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा मजदूर के प्रति जागरूकता करना।

(9) पर्यावरण सुरक्षा हेतु वृक्षारोपण, ऊसर भूमि सुधार, जन-जागरण अभियान, शौचालय/सार्वजनिक शौचालय निर्माण, पशु नस्ल आपूर्ति, आदि कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार प्रशिक्षण क्रियान्वयन करना।

(10) समाज के निर्बल एवं बेरोजगार लोगों के उत्थान के लिए उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड/खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग संचालित कार्यक्रमों को स्थापित एवं संचालित करना। जिसमें खादी तथा ग्रामोद्योग का उत्पादन तथा बिक्री करना, ग्रामोद्योग होने वाली ग्रामीण जनता के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एवं प्रशिक्षित व्यक्ति भी पूर्ण करना। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड/आयोग द्वारा ग्रामीण कुटीर उद्योग की स्थापना कर शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना।

~~(11) [illegible]ता के आधार पर बैंक द्वारा उनके स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराना। स्वयं सहायता समूह, चिकित्सा, कढ़ाई, आत्मनिर्भरता की शिक्षा देना तथा सामुदायिक प्रशिक्षण कुटीर/लघु मार्केटिंग कार्यक्रम के लिए प्रेरित करना। इसके लिए राष्ट्रीय महिला कोष, नाबार्ड तथा सिडबी इत्यादि से ऋण/अनुदान प्राप्त करके स्वरोजगार/सामुदायिक कार्य के लिए लाभार्थियों को उसे उपलब्ध कराने में सहयोग देना।~~

(12) जीव-जन्तुओं के प्रति संवेदनशील जनता तैयार करना, पशु उत्पीड़न रोकना व उनकी चिकित्सा, पुनर्वास की व्यवस्था करना। विलुप्त हो रहे जीव-जन्तुओं के संरक्षण व संवर्धन हेतु प्रयास/अनुसंधान करना।

Principal
Vishnu Bhagwan Public School
Jhalwa, Prayagraj

PRINCIPAL
Vishnu Bhagwan Public School
Jhalwa, Peepal Gaon, Allahabad

(13) विज्ञान एवं तकनीक के उपयोग के लिये [illegible] सम्बन्ध में [illegible] पर आधारित [illegible] कृषि एवं [illegible] उपयोग की [illegible] के [illegible] प्रशिक्षण [illegible] एवं अनुसंधान [illegible] तथा [illegible] प्रचार-प्रसार की व्यवस्था करना।

(14) मीन पालन/पशुपालन/मत्स्य पालन के क्षेत्र में लोगों को अग्रणी [illegible] एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। मत्स्य पालन विभाग, समाज कल्याण विभाग से अनुदान एवं सहायता प्राप्त करना तथा मत्स्य पालन के लिये तालाबों का पट्टा सम्बन्धित विभाग से [illegible] का प्रबन्ध करना। मत्स्य पालन एवं उसकी [illegible] से [illegible] सम्बन्धित कार्य करना।

(15) आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, अल्प संख्यक, अनुसूचित [illegible] समुदाय के सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास [illegible] एवं कानूनी सहायता प्रदान करना।

(16) मानव कल्याण मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, [illegible] मंत्रालय, [illegible] के कार्यक्रम [illegible]/केन्द्र/राज्य के मंत्रालयों/विभागों [illegible] विभागों के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना। [illegible] केन्द्र सरकार तथा उनके विभागों/अनुभागों द्वारा चलाई जा रही है योजनाओं को सही लाभार्थियों तक पहुँचाने के लिये (सेतु) का कार्य करना। जैसे [illegible] विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, खेल कूद मंत्रालय, [illegible] मंत्रालय।

(17) विद्यालय, वाचनालय, निःशुल्क औषधालय, अनाथालय, [illegible] [illegible] इत्यादि का निर्माण करना तथा व्यवस्था करना।

(18) [illegible], उच्च प्राथमिक, हाई स्कूल, इण्टर मीडिएट, महाविद्यालय, इन्स्टीट्यूशन [illegible] कालेज तथा [illegible] शिक्षण संस्थान की स्थापना करके शिक्षा प्रदान करना तथा निर्धन छात्र-छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। इसके लिये [illegible] पुस्तकालय आदि की व्यवस्था करना। सभी के लिये [illegible] शिक्षा [illegible] शिक्षा प्रदान करना।

([illegible]) [illegible] एवं युवा उद्देश्य के लाभकारी ([illegible]) संस्था के रूप में [illegible] उद्देश्यों की पूर्ति एवं सामाजिक [illegible] तथा उद्देश्य पूर्ति हेतु सरकारी अर्द्ध सरकारी रचनात्मक योजनाओं, [illegible] केन्द्रीय/राज्य सरकारी [illegible] से दान-अनुदान तथा चल-अचल सम्पत्ति व ऋण प्राप्त करना तथा उपरोक्त [illegible] संस्था के उद्देश्य पूर्ति में लगाना।

([illegible]) [illegible] में विकास, शिक्षा तथा ग्रामीण विकास करना एवं [illegible] पिछड़ा, दलित, [illegible] अल्पसंख्यक, युवकों व युवतियों के शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शारीरिक, वैज्ञानिक एवं रचनात्मक विकास करना। इस कार्य हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाओं को [illegible] अपने क्रियान्वयन हेतु कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत संस्था की शाखाओं, केन्द्रों, संस्थाओं की स्थापना तथा चलाना।

([illegible]) कार्यक्षेत्र में जनसामान्य की शिक्षा की मुख्य धारा में [illegible] आदर्श पुस्तकालय/[illegible] [illegible]। इसके लिये [illegible] की आधुनिक एवं [illegible] पत्रिकायें [illegible] प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर प्रदान करना, निःशुल्क साहित्य उपलब्ध कराना।

([illegible]) वैज्ञानिक शिक्षा, कृषि शिक्षा, प्रचार-प्रसार के लिये केन्द्रों को खोलना [illegible] प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

([illegible]) [illegible] कार्यक्रमों की [illegible] उनके इतिहास की जानकारी [illegible] पुस्तक, साहित्य उपलब्ध कराना एवं अनुवादन कार्य करना।

([illegible]) आवश्यक प्रशिक्षण (कढ़ाई-बुनाई, [illegible] इत्यादि) के द्वारा रोजगार के अवसर प्रदान करना।

([illegible]) व्यावसायिक शिक्षा, [illegible] शिक्षा, [illegible] शिक्षा, तकनीकी शिक्षा जैसे [illegible] कम्प्यूटर [illegible], पर्यावरण, एग्रीकल्चर, [illegible] ([illegible]) में सर्टिफिकेट [illegible] डिप्लोमा एवं डिग्री [illegible] संस्थान/कालेज की स्थापना/संचालन करना।

([illegible]) [illegible] बालवाड़ी, [illegible] ग्रामीण विकास एवं [illegible] योजनाओं पर [illegible] तथा शिक्षा एवं [illegible] करना।

[illegible]

PRINCIPAL
Vishnu Bhagwan Public School
Jhalwa, Peepal Gaon, Allahabad

Vishnu Bhagwan Public School
Principal
Jhalwa, Prayagraj

[illegible] कार्यों के लिए सरकारी, अर्द्ध सरकारी, [illegible] तथा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय [illegible] से वित्तीय सहायता प्राप्त करना।

[illegible] संस्था के हित के लिए उपर्युक्त [illegible]

[illegible] कार्य करना जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 21, 1860 के अन्तर्गत निहित है।

[illegible] समिति के सदस्यों/पदाधिकारियों [illegible] पता [illegible]

[illegible] नियमावली के अनुसार कार्यभार सौंपा गया है।

क्रमांक / नाम	पिता/पति का नाम	पता	व्यवसाय	पद / हस्ताक्षर
1 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] KKLuck
3 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] A.L. Tripathi
4 [illegible]	[illegible] अनुदेव त्रिपाठी	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] Kamlesh Kumar
6 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

हम निम्न लिखित हस्ताक्षरकर्ता संस्था को उपरोक्त स्मृति-पत्र के अनुसार सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 21, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत कराना चाहते हैं।

[illegible] [illegible] 1860

A.L. Tripathi KKLuck [illegible]

[illegible] कुमार

Kamlesh Kumar

[illegible]

Dinesh

PRINCIPAL
Vishnu Bhagwan Public School
Jhalwa, Peepal Gaon, Allahabad

नियमावली [redacted] पत्र

संस्था का नाम : सस्थान सेन्टर फार सस्टेनेबिल डेवलपमेन्ट एण्ड पावर्टी एलीविएशन

संस्था का पता : 10 ए,आकलैण्ड रोड, इलाहाबाद (उ0प्र0)

कार्य क्षेत्र : सम्पूर्ण भारत

संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :

यह व्यक्ति जो भारतीय नागरिक हो तथा संस्था के उद्देश्यों में विश्वास रखता हो, नियमावली के अनुरूप आचरण को वचनबद्ध हो, संस्था के सचिव के नाम सदस्यता हेतु लिखित आवेदन करके सचिव की संस्तुति के पश्चात संस्था की सदस्यता प्राप्त कर सकता है। सभी सदस्य को रू0 10/- पंजीकरण शुल्क (केवल एकबार) आवेदन पत्र के साथ देना होगा। प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक नये सदस्य बनाये जायेंगे।

(अ) संस्थापक सदस्यः—

(क) जो व्यक्ति रू0 10,000/- नकद या चल/अचल सम्पत्ति एक मुश्त दान देगा। वही संस्था का आजीवन संस्थापक सदस्य बन सकता है। इसके लिए भी सचिव की संस्तुति आवश्यक है।

(ख) सभी संस्थापक सदस्य संस्था के आजीवन सदस्य होंगे, उनके त्याग पत्र देने या मृत्यु होने की स्थिति में रिक्त स्थानों की पूर्ति उनके वैधानिक उत्तराधिकारियों में से सचिव/प्रबन्धकारिणी के अनुमोदन पर [illegible] किया जायेगा।

(ब) आजीवन सदस्यः

जो संस्था को रू0 5000 (पांच हजार मात्र) एक मुश्त नकद/अचल सम्पत्ति [illegible] सचिव व प्रबन्धकारिणी की संस्तुति पर आजीवन सदस्यता प्रदान की जायेगी।

(2)

Principal

PRINCIPAL
Vishnu Bhagwan Public School
Jhalwa, Peepal Gaon, Allahabad

(घ) सामान्य वार्षिक सदस्य:-

जो व्यक्ति संस्था 25/- प्रति वर्ष या एक ?/- मासिक दे या पर सदस्य को सामान्य वार्षिक सदस्यता प्रदान किया जायेगा।

(ङ) विशेष सदस्य:-

जो व्यक्ति संस्था के हित में कार्य करेगा, उसे समिति द्वारा मनोनीत करके विशेष सदस्यता प्रदान किया जायेगा। इनका कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। किसी भी स्थिति में इनकी संख्या 11 से अधिक नहीं होगी। इनमें 5 सदस्य शैक्षिक/व्यवसायी [illegible] एक महिला, एक अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग से होना आवश्यक है। इनसे किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(6) सदस्यता की समाप्ति:-

(क) मृत्यु होने पर, पागल, कोढ़ी, दिवालिया होने, किसी न्यायालय द्वारा किसी अनैतिक कार्य में दंडित होने पर, संस्था विरोधी कार्य करने पर, लगातार 3 बैठकों में बिना उचित कारण बताये अनुपस्थित रहने पर, [illegible] शुल्क नहीं देना [illegible] पर, त्याग पत्र देने पर या प्रबन्धकारिणी/साधारण सभा के 2/3 बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार होने पर सदस्यता समाप्त कर दी जायेगी।

(ख) संस्थापक सदस्यों/आजीवन सदस्यों की सदस्यता मृत्यु होने पर या त्यागपत्र देकर समाप्त होगी।

(7) संस्था के अंग:-

(क) साधारण सभा

(ख) प्रबन्धकारिणी समिति

(8) साधारण सभा:-

(अ) गठन: संस्था के सभी सदस्यों (संस्थापक, आजीवन, सामान्य वार्षिक सदस्य एवं विशेष सदस्यों) को लेकर साधारण सभा मानी जायेगी।

(ब) बैठक: साधारण सभा की बैठक वर्ष में एक बार आयोजित किया जायेगा। विशेष बैठक आवश्यकतानुसार अध्यक्ष के अनुमोदन पर या 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित मांग पर बुलाई जायेगी।

Anil Tripathi KK Dwivedi

Kumar Gupta

Dinesh

Dinesh

PRINCIPAL
Vishnu Bhagwan Public School
Jhalwa, Peepal Gaon, Allahabad

(ख) सूचना अवधि: साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 48 घंटा पूर्व प्रसारित की जायेगी।

(ग) गणपूर्ति : कुल सदस्यों का 2/3 गणपूर्ति मानी जायेगी। प्रथम सूचना प्रसारित होगा यदि गणपूर्ति नहीं होती तो सचिव द्वारा दूसरी सूचना प्रसारित एक सप्ताह के अन्दर पुनः बैठक बुलायी जायेगी जिसमें उपस्थित सदस्यों को ही गणपूर्ति (कोरम) मान लिया जायेगा।

(घ) विशेष वार्षिक अधिवेशन : संस्था एक निश्चित वार्षिक अधिवेशन आयोजित करेगी। जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी द्वारा निश्चित की जायगी।

(ङ) साधारण सभा के कार्य : प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव करना, वार्षिक रिपोर्ट, बजट का अनुमोदन करना, नियमावली स्मृतिपत्र में संशोधन करना। अन्य ऐसे सभी विषयों पर निर्णय लेना जिन पर प्रबन्धकारिणी समिति निर्णय नहीं ले सकी।

8. प्रबन्धकारिणी समिति :

(क) गठन: साधारण सभा के द्वारा ही प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव होगा। जिसमें पदाधिकारी व सदस्यों की संख्या किसी भी स्थिति में 7 से अधिक नहीं होगी। इसमें निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे।

1. अध्यक्ष (एक)
2. उपाध्यक्ष (एक)
3. सचिव (एक)
4. कोषाध्यक्ष (एक)
5. कार्यकारिणी सदस्य (तीन)

संस्था की प्रबन्धकारिणी के लिए संस्थापक सदस्य, आजीवन सामान्य तथा विशेष [illegible] एक-एक प्रतिनिधि का होना अनिवार्य है। आजीवन/विशेष सदस्य उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उसकी पूर्ति संस्थापक/सामान्य सदस्यों में से किया जायेगा।

(ख) बैठक: प्रबन्धकारिणी की सामान्य बैठकों का आयोजन वर्ष में तीन बार होना आवश्यक है। विशेष बैठक आवश्यकतानुसार सचिव द्वारा कभी भी बुलाई जा सकती है।

PRINCIPAL
Vishnu Bhagwan Public School
Jhalwa, Peepal Gaon, Allahabad

9. इनकम जनरेटिंग प्रोग्राम से प्राप्त आय।

11. प्रबन्ध कारिणी समिति के पदाधिकारी के अधिकार व कर्तव्य:—

1. अध्यक्ष :

इसका चुनाव/ संस्थापक/ विशेष सहयोगी सदस्यों में से होगा। मत देने का अधिकार सभी वर्गों के सदस्यों को होगा।

कार्य : समिति की संस्तुति पर समस्त प्रकार के कर्मियों की नियुक्ति का अनुमोदन करना/ स्थापन/ निरस्तीकरण करना। आयोजित बैठकों की अध्यक्षता करना। किसी विषय पर बराबर–बराबर मत आने पर अपने निर्णय मत का प्रयोग करना, जो एक निजी मत के अतिरिक्त मत होगा।

2. उपाध्यक्ष :

इसका चुनाव सामान्य सदस्यों में से होगा। सभी वर्गों के सदस्यों को मत देने का अधिकार होगा।

कार्य : अपने अधिकारों का उपयोग करना। अध्यक्ष के लिखित निर्देशों के अनुसार कार्य करना।

3. सचिव :

इसका चुनाव केवल संस्थापक सदस्यों में से होगा। जिसे सभी वर्गों के सदस्यों को मत देने का अधिकार होगा। यह प्रत्येक समितियों का पदेन सचिव होगा।

1. यह इस समिति व इसके द्वारा संचालित संस्थाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का मुख्य [illegible] यह इस समिति द्वारा संचालित संस्थाओं का प्रबन्धक/ व्यवस्थापक होगा।
2. [illegible] शिक्षा विभाग, विद्यालय प्रशासन योजना व राज्य सरकार केन्द्र सरकार एवं अन्य विभिन्न विभागों द्वारा संस्थाओं के सचिव/ मंत्री या प्रबन्धक/ व्यवस्थापक, निदेशक को प्राप्त होने वाले सभी अधिकारों का पालन व प्रयोग करना।

Dinesh

Dinesh
PRINCIPAL
Vishnu Bhagwan Public School
Jhalwa, Peepal Gaon, Allahabad

(स) सूचना अवधि : प्रबन्धकारिणी की सामान्य बैठकों की सूचना 5 दिन पूर्व तथा विशेष बैठकों की सूचना 24 घन्टा पूर्व प्रसारित करना आवश्यक है।

(द) गणपूर्ति (कोरम) : कुल पदाधिकारियों एवं सदस्यों का 2/3 उपस्थिति गणपूर्ति(कोरम) मानी जायेगी। प्रथम बैठक में गणपूर्ति नहीं होने पर स्थगित तीस दिन के भीतर पुनः बैठक बुलायेगा, जिसमें उपस्थित सदस्यों एवं पदाधिकारियों की संख्या को ही कोरम मान्य जायेगा।

(य) रिक्त स्थानों की पूर्ति : प्रबन्ध कारिणी समिति में हुए आकस्मिक रिक्त स्थानों की पूर्ति उसी के वर्ग के सदस्यों द्वारा या उसी वर्ग के सदस्य उपलब्ध नहीं होने पर सामान्य सदस्यों में से [illegible] द्वारा किया जायेगा। जिसका अनुमोदन चार माह के भीतर प्रबन्धकारिणी/साधारण सभा द्वारा होना आवश्यक है।

[illegible] :

(1) समिति के विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, विभिन्न प्रकार की संस्थाओं की स्थापना करना, संचालन करना व प्रबन्ध करना।

(2) कार्यक्रमों के क्रियान्वयन करने के लिए वैतनिक/अवैतनिक कार्यकर्ताओं/कर्मचारियों की नियुक्ति करना।

(3) आवश्यकता के अनुसार सदस्यों को बनाने व सदस्यता समाप्त करने आदि का [illegible]

[illegible] वार्षिक बजट व वार्षिक रिपोर्ट को स्वीकृत करना/अनुमोदन करना [illegible] नियम उपनियम बनाना। संस्था के वित्तीय संसाधनों को जुटाना। चल-अचल सम्पत्ति का संग्रह करना। दान लेना व देना। [illegible] करना [illegible] करना व अपनी संस्था की शाखाओं व केन्द्रों की स्थापना सम्पूर्ण कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत करना। कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत करना। कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना।

Vishnu Bhagwan Public School Principal Jhalwa, Prayagraj

PRINCIPAL
Vishnu Bhagwan Public School
Jhalwa, Peepal Gaon, Allahabad

(5) धन उपलब्ध होने पर समिति/किसी सदस्य/पदाधिकारी द्वारा यथावश्यक निर्धारित [illegible] करना। कर्मचारियों का संचालन करना तथा निर्देश देना आय-व्यय के प्रतिवेदन [illegible] संस्थाओं की स्थापना आदि।

(ख) कार्यकाल : प्रबन्धकारिणी सदस्यों का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा। प्रत्येक [illegible] पूर्ण करने तक होगा। विशेष पदाधिकारी/ सदस्य का कार्यकाल उसकी [illegible] एक वर्ष और [illegible] परिस्थितियों में प्रबन्धकारिणी के अनुमोदन पर [illegible] है।

9. मताधिकार— सभी प्रकार के सदस्यों (संरक्षक/आजीवन/विशेष सहयोगी/साधारण), को मत देने का अधिकार होगा।

10. संस्था के आय के स्रोत :—

संस्था की आय के निम्न लिखित स्रोत है।

1. दान, अनुदान, चन्दा एकत्रित आय।
2. सदस्यता शुल्क से अर्जित आय।
3. संस्था के आर्थिक संसाधनों से अर्जित आय।
4. व्यक्तियों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों आदि से प्राप्त अनुदान।
5. चल-अचल सम्पत्ति से अर्जित आय।
6. ग्राम पंचायत/क्षेत्र/जनपद/प्रदेश स्तर आदि सरकार/विदेशी संस्थाओं से प्राप्त [illegible] कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से प्राप्त [illegible]।

[illegible] प्रदेश सरकार, जिला सरकार, स्वैच्छिक संस्थाओं, [illegible] एवं उनकी विभागों/अनुभागों, संस्था के उद्देश्यों के लिए राज्य सरकार, केन्द्र सरकार एवं [illegible] शिक्षा विभाग, [illegible] वित्तीय निगमों, अन्तर्राष्ट्रीय स्वायत्तशासी संस्थाओं [illegible] विभाग, [illegible] शिक्षा। [illegible] समाज कल्याण विभाग, [illegible] यूनिसेफ, अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं, [illegible] के रूप में प्राप्त हो। से दान/अनुदान या ऋण, के रूप में प्राप्त हो।

PRINCIPAL
Vishnu Bhagwan Public School
Jhalwa, Peepal Gaon, Allahabad

9. इसका [illegible] प्रीवाह [illegible] आय।

11. प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारी के अधिकार व कर्तव्य:-

1. अध्यक्ष :

इसका चुनाव/ संस्थापक/ विशेष सहयोगी सदस्यों में से होगा। मत देने का अधिकार सभी वर्गों के सदस्यों को होगा।

कार्य : समिति की संतुष्टि पर समस्त प्रकार के कार्यों की स्थिति का अनुमोदन करना/स्थगन/निरस्तीकरण करना। आयोजित बैठकों की अध्यक्षता करना। किसी विषय पर बराबर-बराबर मत आने पर अपने निर्णय मत का प्रयोग करना, जो एक निजी मत के अतिरिक्त मत होगा।

2. उपाध्यक्ष :

इसका चुनाव सामान्य सदस्यों में से होगा। सभी वर्गों के सदस्यों को मत देने का अधिकार होगा।

कार्य : अपने अधिकारों का उपयोग करना। अध्यक्ष की लिखित निर्देशों के अनुसार कार्य करेगा।

3. सचिव :

इसका चुनाव केवल संस्थापक-सदस्यों में से होगा। जिसे सभी वर्गों के सदस्यों को मत देने का अधिकार होगा। यह समस्त समितियों का गठन [illegible] होगा।

1. यह इस समिति व इसके द्वारा संचालित संस्थाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का मुख्य [illegible]
2. [illegible] इस समिति द्वारा संचालित संस्थाओं का प्रबन्धक/व्यवस्थापक होगा।
3. [illegible] जिला विभाग, विद्यालय प्रबन्धन, योजना व राज्य सरकार केन्द्र सरकार एवं अन्य विभिन्न विभागों द्वारा संस्थाओं के सचिव/मंत्री या प्रबन्धक/व्यवस्थापक, निर्देशक को प्राप्त होने वाले सभी अधिकारों का धारण व प्रयोग करना।

PRINCIPAL
Vishnu Bhagwan Public School
Jhalwa, Peepal Gaon, Allahabad

Vishnu Bhagwan Public School
Principal
Jhalwa, Prayagraj

4. समस्त प्रकार की वित्तीय सहायता दान अनुदान चन्दे आदि निधियों को प्राप्त करना व उनकी प्राप्ति पर हस्ताक्षर करना। आय-व्यय का ब्यौरा [illegible] वित्तीय [illegible] बजट व वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना, आडिट हेतु प्रपत्र तैयार करना।

5. संस्था की चल-अचल सम्पत्ति विषयक अनुबन्धों, दस्तावेजों व पत्रों पर संस्था के प्रधान की हैसियत से हस्ताक्षर करना।

6. समस्त प्रकार के सदस्य अथवा उनका रिकार्ड रखना जिन सदस्यों द्वारा शुल्क [illegible] न जमा करायी गई हो उनका नाम सदस्यता सूची से हटाना।

7. संस्था के सभी प्रकार के पत्र व्यवहार करना।

8. संस्था का प्रतिनिधित्व समस्त सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों में करना, या किसी को भेजना।

9. संस्था के समस्त रिकार्ड व रजिस्टर आवश्यक दस्तावेजों आदि को तैयार करना व उन्हें प्रमाणित करना।

10. संस्था का वार्षिक बजट व वार्षिक रिपोर्ट को तैयार करना व प्रबन्धकारिणी समिति व साधारण सभा के अधिवेशन में प्रस्तुत करना।

11. संस्था का समस्त धन संस्था के खाते में जमा करना व अपने हस्ताक्षरों से निकालना आदि। यदि शासन के किसी नियम या योजना के अन्तर्गत संस्था का खाता संयुक्त हस्ताक्षरों से संचालित होना अनिवार्य होगा तो सचिव के साथ किसी पदाधिकारी/सदस्य के संयुक्त हस्ताक्षर कराये जायेंगे।

12. संस्था द्वारा अथवा विरुद्ध होने वाली समस्त अदालती कार्यवाहियों में संस्था का प्रतिनिधित्व करना।

[illegible] प्रस्तावों को कार्य-रूप प्रदान करना।

[illegible] उपनियम बनाना।

15. संस्था के विकास के लिए [illegible] करना।

4. संयुक्त सचिव:

सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव उन समस्त अधिकारों का पालन व प्रयोग करेगा जो सचिव द्वारा उसे लिखित रूप में दिये गये हैं।

PRINCIPAL
Vishnu Bhagwan Public School
Jhalwa, Peepal Gaon, Allahabad

द. प्रबन्धकारिणी सदस्य:—

1. इनका चुनाव साधारण सदस्यों में से होगा। मत देने का अधिकार सभी वर्गों के सदस्यों को होगा।

3. यह सचिव की अनुपस्थिति में सचिव के उन समस्त अधिकारों का पालन व प्रयोग करेगा जो सचिव द्वारा उसे लिखित रूप से दिये गये हों।

2. इनका चुनाव साधारण विद्वान आजीवन व संरक्षक सदस्यों में से होगा।

4. इनका मुख्य कार्य कार्यकारिणी के क्रियान्वयन में अपना सुझाव व मत देना।

5. साधारण सभा के 2/3 बहुमत से संस्था के नियमों व अधिनियमों में संशोधन एवं परिवर्तन करेगा।

12. संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :—

साधारण सभा के 2/3 बहुमत से परिषद के नियमों व विनियमों में संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन स्वीकार होंगे।

13 संस्था का कोष :—

संस्था का समस्त कोष किसी मान्यता प्राप्त बैंक/पोस्ट आफिसों में संस्था के नाम बचत खाता (सेविंग एकाउन्ट) खोलकर जमा किया जायेगा। जिसका संचालन सचिव के हस्ताक्षर से होगा। यदि शासन की किसी निधि या परियोजना के अन्तर्गत संस्था का खाता संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित होना हो तो सचिव के साथ किसी पदाधिकारी या सदस्य के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित किया जायेगा।

14. संस्था के आय–व्यय का लेखा परीक्षण :—

संस्था के आय–व्यय की लेखा परीक्षण [illegible] किसी मान्यता प्राप्त [illegible] लेखा परीक्षक/चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जायेगा।

सत्य प्रतिलिपि

15. संस्था के अभिलेख :—

1. सदस्यता रजिस्टर
2. कार्यवाही रजिस्टर

PRINCIPAL
Vishnu Bhagwan Public School
Jhalwa, Peepal Gaon, Allahabad